

22/11/20

आदेश

दिनांक 19.12.2020 को अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। आज अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा बेरडों की ढाणी पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 239/187 रकबा 14.18 बीघा, खसरा संख्या 244/187 रकबा 10.08 बीघा, खसरा संख्या 246/187 रकबा 05.18 बीघा, खसरा संख्या 248/187 रकबा 32.19 बीघा, खसरा संख्या 249/193 रकबा 09.05 बीघा, खसरा संख्या 251/194 रकबा 63.00 बीघा, खसरा संख्या 254/208 रकबा 06.02 बीघा, खसरा संख्या 258/209 रकबा 30.02 बीघा, खसरा संख्या 262/210 रकबा 13.10 बीघा कुल रकबा 186.02 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बेरडों की ढाणी पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 239/187 रकबा 14.18 बीघा, खसरा संख्या 244/187 रकबा 10.08 बीघा, खसरा संख्या 246/187 रकबा 05.18 बीघा, खसरा संख्या 248/187 रकबा 32.19 बीघा, खसरा संख्या 249/193 रकबा 09.05 बीघा, खसरा संख्या 251/194 रकबा 63.00 बीघा, खसरा संख्या 254/208 रकबा 06.02 बीघा, खसरा संख्या 258/209 रकबा 30.02 बीघा, खसरा संख्या 262/210 रकबा 13.10 बीघा कुल रकबा 186.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

राजस्व आवेदन संख्या 100/2020 अनवान नानगाराम बनाम आदूराम

नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अधिकारी
बाडमेर

सेवामें

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2020/

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

प्रार्थी

2844

बनाम

दिनांक - 22-12-20

अप्रार्थीगण

1 नानगाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बेरडों की ढाणी, बलाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

1 आदूराम पुत्र जुगताराम वगैराह जाति जाट निवासी वेरडों की ढाणी, बलाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 100/2020

दिनांक- 22/12/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बेरडों की ढाणी पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 239/187 रकबा 14.18 बीघा, खसरा संख्या 244/187 रकबा 10.08 बीघा, खसरा संख्या 246/187 रकबा 05.18 बीघा, खसरा संख्या 248/187 रकबा 32.19 बीघा, खसरा संख्या 249/193 रकबा 09.05 बीघा, खसरा संख्या 251/194 रकबा 63.00 बीघा, खसरा संख्या 254/208 रकबा 06.02 बीघा, खसरा संख्या 258/209 रकबा 30.02 बीघा, खसरा संख्या 262/210 रकबा 13.10 बीघा कुल रकबा 186.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/

2845 2848

दिनांक- 22-12-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी राणीगांव तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नानगाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बेरडों की ढाणी, बलाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आदूराम पुत्र जुगताराम वगैराह जाति जाट निवासी बेरडों की ढाणी, बलाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर